EDUCATION DEPARTMENT

The 11th October, 1985

No. 23/23/85-EduI(2).—The Governor of Haryana is pleased to order that the existing Government College, Hansi and Government College, Narwana, will henceforth be named as Nehru Memorial Government College, Hansi and Kamla Memorial Government College, Narwana, respectively.

L. M. JAIN,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Education Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 अक्तूबर, 1985

क्रमांक 1089-ज(I)-85/30800.—श्री हजूरा सिंह, पुत्र श्री लाल सिंह, गांव महलावाली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, की दिनांक 7 फरवरी, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हजूरा सिंह की मुबिलग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1542-ज-(I)-75/22244, दिनांक 30 जुलाई, 1975 तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती केसर कौर के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1093-ज(I)-85/30805.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री कंवर सिंह ग्रेवाल, पुत्र श्री रूलिया सिंह, गांव शाहपुर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, को रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1120-ज(I)-85/30811.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती प्यारी कौर, विधवा श्री करतार सिंह, गांव बालछप्पर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1050-ज(I)-85/30815.—श्री मातू राम, पुत्र श्री वधावा राम, गांव अमरगढ़ गामड़ी, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र, की दिनांक 25 मार्च, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1)(ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मातू राम की मुबिलग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4198-र(III)-70/19055, दिनांक 14 अगस्त, 1970, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पंजाब कौर के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1119-ज(I)-85/30819.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, दिवान चन्द, पुत्र श्री नन्द लाल, मकान नं० 113, प्रेम नगर, अम्बाला शहर, जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।